संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार) भरने हेतु अनुदेश INSTRUCTION FOR FILLING THE COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAAR)

(संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार) ऐसे मामलों में लागू होगा जहां सदस्य प्रपत्र-11 (नया) में विवरण पूर्ण करता है, आधार नंबर तथा बैंक खाते का विवरण यू.ए.एन. पोर्टल पर उपलब्ध है तथा यू.ए.एन. सिक्रय किया गया है। ऐसे सदस्य नियोक्ता के सत्यापन के बिना सीधे संबंधित क.भ.नि.सं. कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकते हैं।)

(The Composite Claim Form (Aadhaar) is applicable in cases where a member's complete details in Form-11 (New), Aadhar number and bank account details are available on the UAN Portal and UAN has been activated. Such members can submit this form directly to the concerned EPFO office, without attestation of claim form by the employers.)

- 1. निम्नांकित हेत् आवेदन किया जा सकता है:- The application can be made for :
 - i) भविष्य निधि के अंतिम निपटान/ Final P.F. Settlement
 - ii) पेंशन प्रत्याहरण लाभ (केवल 10 वर्ष से कम का सेवाकाल होने पर) Pension Withdrawal Benefits (only if the service is less that 10 years)
 - iii) भविष्य निधि आंशिक प्रत्याहरण / PF Part Withdrawal, तदन्सार बॉक्स में निशान लगाएं/ Tick the boxes accordingly.
- 2. नाम: नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें/ Name : Name in CAPITAL LETTERS
- 3. य्.ए.एन.: 11 अंकों की यूनिवर्सल खाता संख्या का उल्लेख करें / UAN: Please mention the 11 digit Universal Account Number.
- 4. कृपया बारह अंकों की आधार संख्या का उल्लेख करें/Kindly mention 12 digits Aadhaar Number
- 5. स्थापना में कार्य ग्रहण की तिथि: दिन/माह/वर्ष के फार्मेट में / Date of Joining the establishment: In DD/MM/YYYY format
- 6. अग्रिम लेने का कारण तथा कितनी अग्रिम राशि की आवश्यकता है :- Purpose of PF Part Withdrawal and Amount required: इनमें से कोई एक कारण होना चाहिए / The purpose may be one of the following:
 - i) आवासीय ऋण /भूमि /घर /फ्लैट खरीदने हेतु/ वर्तमान घर में निर्माण/अतिरिक्त फेर बदल/ आवासीय ऋण को चुकाने के लिए: कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है। किसी दस्तावेज (जैसे नया घोषणा पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि) की आवश्यकता नहीं है। Housing Loan/purchase of site/house/flat or for construction/Addition alteration in existing house/Repayment of Housing Ioan: No document is required. No document (e.g. New Declaration Form/Utilization Certificate etc.) is required.

यदि अग्रिम साईट/मकान/फ्लैट की खरीद या एजेंसी के माध्यम से निर्माण या आवासीय ऋण की अदायगी के लिए है तो जिसके पक्ष में अदा किया जाना है उसका नाम दर्शाए ।

In case the advance is for purchase of site/house/flat or construction through Agency or repayment of Housing Loan then indicate the name in whose favour the payment has to be made.

- ii) फैक्ट्री की तालाबंदी या बंद होना/ Lockout or closure of factory: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है /No document is required
- iii) सदस्य/परिवार की बीमारी/Illness of member/family: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/ No document is required.
- iv) स्वयं/बेटा/बेटी/भाई/बहन की शादी/Marriage of self/son/daughter/brother/sister: किसी दस्तावेज (जैसे शादी कार्ड) की आवश्कता नहीं है/No document (e.g. Marriage Card) is required.
- v) बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा/Post Matriculation education of children: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/No document is required.
- vi) प्राकृतिक आपदा के असाधारण मामले/Natural calamity of exceptional cases: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है /No document is required.
- vii) स्थापना में बिजली की कटौती/Cut in electricity in establishment: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है /No document is required.
- viii) शारीरिक रूप से विकलांग द्वारा उपकराण की खरीद/Purchase of equipment by physically handicapped: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/No document is required.
- ix) सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व: कुल भ.नि. बकाया का 90% तक निकाल सकते हैं/One year before retirement: 90% of total PF balance can be withdrawn: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/ No document is required.
- x) विरष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश: कुल भ.नि. बकाया का 90% तक एल.आई.सी. में अंतरित कर सकते हैं/Investment in Varistha Pension Bima Yojana: 90% of total PF balance can be transferred to LIC: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/ No document is required.
- 7. नौकरी छोड़ने की तिथि: दिन/माह/वर्ष के फार्मेट में / Date of leaving service: In DD/MM/YYYY format
- 8. (क) स्थायी खाता संख्या (पैन): पांच वर्ष से कम का सेवाकाल होने पर / (a) Permanent Account Number (PAN): In case of service less than 5 years.

फार्म 15जी/15एच की दो प्रतियां संलग्न करें, यदि लागू हो / Please submit two copies of Form 15G/15H, if applicable. (यदि भ.नि. से आंशिक प्रत्याहरण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पैन की आवश्यकता नहीं है) / (PAN not required if applying for PF Part Withdrawal)

- (ख) नौकरी छोड़ने का कारण: केवल भ्र.नि. अंतिम निपटान के मामले में : इनमें से कोई एक कारण होना चाहिए / (b) Reason for leaving service : Only in case of PF Final Settlement. The reason may be:
 - ।. समापन के कारण/ Termination on account of
 - a) सदस्य की बीमारी/ III health of member
 - b) नियोक्ता के व्यापार में कमी/बंद होना /Contraction /Discontinuation of employer's business or
 - c) सदस्य के नियंत्रण से बाहर अन्य कारण/ Other cause beyond the control of the member
 - d) व्यक्तिगत कारण / Personal Reasons
 - ॥. विवाह (महिला सदस्य के लिए) / Marriage (for female member)
 - III. विदेश में स्थायी रूप से बसने के कारण/ Permanent Settlement Abroad
 - आयकर (टीडीएस) काटा जाएगा यदि सेवा 5 वर्ष (60 माह) से कम है। आयकर (टीडीएस) नहीं काटा जाएगा यदि कुल शेष रू. 50,000 से कम है। यद्यपि ऐसे मामलों में टीडीएस 10% की दर से काटा जाएगा यदि सदस्य पैन प्रस्तुत करता है। पैन प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में 34.608% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

Income Tax (TDS) is deducted if the service is less than 5 years (60 months). No Income Tax (TDS) is deducted in case the total balance is less than Rs. 50,000/-. However, TDS is deducted @10% if the member submits PAN in such cases. In case PAN is not submitted, then TDS @34.608% is deducted.

- वर्तमान स्थापना के साथ-साथ पिछली स्थापना की कुल सेवा की गणना की जाएगी, अत: सभी भविष्य निधि खातों को एक साथ मिलाने का स्झाव दिया जाता है।
 - The total service in the present establishment as well as previous establishment is counted and, therefore, it is advisable to merge all PF accounts.
- 9. कृपया सदस्य के पते का उल्लेख करें/ Kindly mention the address of the member
- 10. सदस्य द्वारा राजस्व स्टांप (रूपये 1/-) लगाने की आवश्यकता नहीं है / No Revenue stamp (Re. 1/-) is required to be affixed by the member.